Government of Bihar

Prohibition, Excise and Registration Department

Notification

No.-11/Utpad Niti(Neera)-01-14/2017.............................In exercise of the powers conferred by clause (q) sub-section (2) of section 95 of the Bihar Prohibition & Excise Act,2016 (Bihar Act 20 of 2016), the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to regulate the tapping of coconut, palmyra, date or any other kind of palm trees and sale of neera, namely :-

1. **Short title, extent and commencement** – (1) These rules may be called the "**Bihar Neera (Unfermented Juice of Palms) Rules, 2017"** .

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force from immediate effect.

2. **Definitions** – In these rules, unless otherwise requires in the subject or context-

(i) "The Act" means the Bihar Prohibition and Excise Act,2016 ;

(ii) "Licensing Authority" means the Excise Superintendent, Assistant Commissioner of Excise of the district concerned or any other authority empowered by the State Government to grant a license under these Rules;

(iii) "Neera" means unfermented juice drawn from any coconut, palmyra, dates or any other kind of palm trees ;

(iv) "Section" means a section of the Act .

(v) "Tree" means a neera producing tree ;and

(vi) " Tapper" means a person who climbs on the tree to tap it for the sap or juice.

3. **Tapping of tree-** Any tapper desiring to tap a tree and draw neera therefrom for the manufacture of 'Gur' or any other product which is not an intoxicant; or for the supply of Neera to persons authorized to manufacture Gur or any other article which is not an intoxicant; or to supply neera to the Government authorized agency for further processing and consumption on specified premises; shall have to execute :-

(i) An agreement of annual/monthly/seasonal rent for tapping tree situated on personal land between the owner or his authorized agent and the tapper.

(ii) An agreement of tapping tree situated on the government land between the Circle Officer of that area and the tapper as per sairat settlement procedure of the Revenue Department. Such settlements shall only be made with the tappers.

4. **Period of agreement-** The tapping agreement may be annual/seasonal or monthly for the following period : -

(i) An annual agreement executed under rule-3 of these Rules shall remain effective for a period of one year from the 1st day of April, to the 31st day of March, following (both days inclusive) or

(ii) A seasonal agreement for tapping tree shall remain effective from the months of April to August/September (Sahi season) or October/November to March (Basanti season). or

(iii) A monthly agreement shall remain effective for a specific month of a year or any other period which deems fit for the owner and the tapper.

5. **Determination of fair rent of tree and purchase price of unfinished and finished produce-** The fair rent of the tree, purchase price of unfinished and

finished produce of palm like neera, gur etc shall be determined by a Committee constituted by the State Government.

6. Application for license: - (1) Any tapper desiring to tap a tree and draw neera therefrom, may make an application for license to the licensing authority to be notified by the State Government at least fifteen days before the date of tapping a tree in the form-I.

(2) The licensing authority may either grant or refuse a license but the reasons for refusal shall be recorded by him. The licensing authority shall have to issue the license in form-II within fifteen days from the date of receipt of application, but he may issue the same after the expiry of the said period after recording special reasons but within total time limit of 30 days. In case the licensing authority fails to take a decision within 30 days the license would be deemed to be granted.

(3) The period of validity of license shall be as per the period of tapping agreement.

(4) No license fee shall be chargeable for the tapping of tree and drawing neera.

7. Inspection - (1) Any excise officer not below the rank of Sub-inspector may inspect tapping of tree and other places where neera product is manufactured, stored or sold.

(2) The Inspecting officer shall also inspect the palm tree product for the presence of intoxicants and alcohol content and any adulteration.

(3) The officer shall record his observations in the inspection book maintained and forward the report to higher authority for necessary action and also take necessary action as per rules.

8. Redressal of grievances- (1) On any complaint arising between the owner and tapper of the tree situated on private land regarding rent, period and other term and condition of the agreement, it shall be filed before the Excise Superintendent, Assistant Commissioner of Excise of the district concerned in form-III.

(2) The Excise Superintendent, Assistant Commissioner of Excise of the district concerned may, after giving due notice to the parties and after giving them reasonable opportunity, hear the case.

(3) While deciding on issues related to rent disputes the Excise Superintendent, Assistant Commissioner of Excise of the district concerned shall have due regard to the fair rent fixed as per rule 5 and a reasoned order shall be passed.

9 **Appeal -** (1) Any person aggrieved by an order passed by the Excise Superintendent, Assistant Commissioner of Excise of the district concerned may, within thirty days from the date of receipt of such order by him, prefer an appeal in writing to the Deputy Commissioner of Excise of the division concerned, the appellate authority.

(2) On such appeal being preferred, the appellate authority, may--

(a) after perusing the memorandum of appeal and hearing all the parties concerned if necessary, summarily dismiss the appeal, or

(b) call for the records of the case from the Excise Superintendent, Assistant Commissioner of Excise of the district concerned and after examining such records and, if necessary, making such further enquiry, as he thinks fit, decide the appeal.

10. **Eviction of tappers -** Not withstanding anything contained contrary to any contract or law the tapper shall not be liable to eviction within the period of agreement as defined in rule-3 except in execution of an order passed on one or more of the following grounds :-

(a) In case the tapper draws sap or any produce from the tree to be converted to an intoxicant or alcoholic drink or any liquor product.

(b) For breach of the conditions of the agreement, or for subletting the tree without the consent of the tree owner.

(c) Where the condition of the tree has materially deteriorated owing to the acts of the tapper.

(d) Where the amount of rent lawfully payable by the tapper and due from him is an arrears by not having been paid within the time fixed by the contract.

(e) In case of a tapper holding an agreement for a specified period on the expiry of the period of the agreement.

11. **Power to remove difficulty-** If any difficulty arises in giving effect in the provisions of these rules the State Government may, by notification in the official Gazette, make such provisions as it deems necessary or expedient for removing the difficulty.

By order of the Governor of Bihar,

(Amir Subhani) 18-3.17
Principal Secretary to the Government,
Bihar

Memo No. 11/Utpad Niti(Neera)-01-14/2017 757 Patna,Date..18/3/2017

Copy forwarded to E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna with CD/ the Superintendent, Gulzarbagh Press, Patna-7 for information and necessary action.

He is directed to publish this notification in the next extraordinary issue of Bihar Gazette, 500 copies of the same be made available to the Department at the earliest.

Principal Secretary to the Government,
Bihar

Memo No. 11/Utpad Niti(Neera)-01-14/2017 757 Patna,Date....18/3/2017

Copy forwarded to the Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

Principal Secretary to the Government,
Bihar

Memo No. 11/Utpad Niti(Neera)-01-14/2017-757 Patna,Date...18/3/2017

Copy forwarded to the Excise Commissioner, Bihar, patna/All Deputy Commissioner of Excise/All Assistant Commissioner of Excise/All Excise Superintendent/Excise Chemical Examiner for information and necessary action.

Principal Secretary to the Government,
Bihar 18.3.17

FORM 1
FORM OF APPLICATION
[See Rule 6(1)]

To,

Excise Superintendent/ Assistant Commissioner of Excise

District...................

Sir,

I, the undersigned........................residing at .... desire to tap neera producing trees described in the Schedule hereto and draw neera therefrom :-

(a) for the manufacture of gur or any other article which is not an intoxicant :

(b) for the supply of neera -

to COMFED for manufacturing gur or any other article which is not an intoxicant from neera or for processing and selling neera to retail vendors for retail sale and consumption on premises.

2. I hereby undertake to use the neera for the above mentioned purposes.

SCHEDULE

No. and kind of trees to be tapped.	Situation of trees to be tapped.	Owner's/proprietor's Name and signature in token of his consent to the trees being tapped.	Remarks
1	2	3	4

Date

Place

Signature of Applicant

FORM II

(See Rule 4)

License for the tapping of neera-producing trees and drawing neera therefrom for the manufacture of gur or any other article which is not an intoxicant or for sale in retail.

Licence is hereby granted under the provisions of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 and the rules, regulations and orders made thereunder and and subject to the conditions of this licence to shri................................ (hereinafter called the licensee) residing at..................................authorising him during the period commencing from dated.......................to......................(both days inclusive) to tap tree and draw neera for the manufacture of gur or any other article which is not an intoxicant at.......... from the trees specified in the schedule hereinafter appended(hereinafter referred to as "the said trees") growing within the limits of the village of ....in the police station of ....

This license is granted subject to the following condition, namely :-

<u>CONDITIONS</u>

1. The licensee shall not tap any tree other than the said trees nor shall be allowed any neera drawn under this license to ferment.
2. The licensee shall deliver neera to Government authorised agency. The neera drawn by him from the said trees under this license will be carried to the collection/manufacturing place by a direct route and to no other place.
3. The licensee shall carry on the business personally.
4. The licensee shall abide by the conditions of the license and the provisions of the Bihar Prohibition And Excise Act, 2016 and the rules, regulations and orders made thereunder and shall give an undertaking to that effect.
5. The licensee, his heirs, legal representatives or assignees shall have no right to claim whatsoever to the continuance or renewal of this license after the expiry of the period of license. It shall be entirely within the discretion of the Licensing Authority to permit or not, the assignee of the licensee, in case of sale or transfer, or the heir or legal representative of the licensee in case of death, to

have the benefit of the license for the unexpired portion of the term for which it is granted.

6. Infraction of any of the above conditions will render the license liable to forfeiture and licensee will be liable to all or any of the penalties prescribed by the act, rules or orders.

Particulars of trees in respect of which the license is granted.

Village and Survey no.	Description of field or garden	Number and kind of trees licenced to be tapped	Remarks
		Coconut, Palmyra, Date, Sago Palm	
1	2	3	4

Excise Superintendent/
Assistant Commissioner of Excise

FORM-III

Form of Complaint

(See Rule-8)

To,

The Licencing Authority,

(Excise Superitendent/ Assistant Commissioner Excise)

I, the Undersigned ………………… Residing at………………… a licensee/owner of trees producing Neera as per the agreement executed on…………… for a period from …………… to …………………….. file a this complaint for the following reasons:-

(a)
(b)
(c)
(d)

I here by request to go through the above grievances and pass an appropriate order.

Yours faithfully,

Licence/owner of the tree

बिहार सरकार

<u>मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग</u>

अधिसूचना

संख्या–11/उत्पाद नीति (नीरा)–01–14/2017–.....................................बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–95 की उपधारा–(2) के खण्ड–(थ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, नारियल, ताड़, खजूर या अन्य ताड़ पेड़ों से रस निकालने और नीरा की बिक्री को नियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः**–(1) यह नियमावली **"बिहार नीरा (ताड़ का खमीर मुक्त रस) नियमावली 2017"** कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाः**–इस नियमावली में, जब तक कोई संदर्भ अथवा विषय अन्यथा अपेक्षित नहीं हो–

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार मद्य निषेध, और उत्पाद अधिनियम, 2016

(ii) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित जिला के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद अथवा इस नियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति स्वीकृति करने हेतु सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी।

(iii) "नीरा" से अभिप्रेत है नारियल, ताड़, खजूर अथवा अन्य किसी ताड़ किस्म के पेड़ों से निकाला गया खमीर मुक्त रस।

(iv) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(v) "पेड़" से अभिप्रेत है नीरा उत्पादित करने वाले पेड़, और

(vi) टैपर से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो पेड़ पर चढ़कर रस निकालने के लिये छेदता है।

3. पेड़ का टैपिगः— गुड़ या अन्य कोई उत्पाद, जो मादक द्रव्य नहीं है, बनाने के लिये अथवा गुड़ या कोई अन्य उत्पाद, जो मादक द्रव्य नहीं है, का निर्माण करने के प्राधिकृत व्यक्ति को नीरा आपूर्त्ति अथवा सरकार प्राधिकृत एजेंसी को निर्धारित परिसर में आगे की प्रक्रम करने और उपभोग के लिये नीरा आपूर्त्ति करने के इच्छुक टैपर को पेड़ को छेदने और उससे नीरा निकालने के लिये निम्नलिखित निष्पादित करना होगा :—

(i) व्यक्तिगत भूमि पर अवस्थित पेड़ को छेदने के लिये टैपर और पेड़ के मालिक अथवा उसके अधिकृत ऐजेंट के बीच वार्षिक/मासिक/मौसमी किराया का एक एकरारनामा।

(ii) सरकारी भूमि पर अवस्थित पेड़ का उस क्षेत्र के अंचलाधिकारी और टैपर के बीच राजस्व विभाग के सैरात बन्दोवस्ती की प्रक्रिया के अनुसार पेड़ छेदने का एकरारनामा। ऐसी बन्दोवस्ती केवल टैपर के साथ होगी।

4. एकरारनामा की अवधि— टैपिंग एकरारनामा निम्नलिखित अवधि के लिये वार्षिक/मौसमी अथवा मासिक हो सकेगा :—

(i) नियमावली के नियम—3 के अधीन निष्पादित वार्षिक एकरारनामा एक वर्ष के लिये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिये (दोनों दिनों को लेकर) प्रभावी होगा, अथवा

(ii) पेड़ का टैपिंग के लिये मौसमी एकरारनामा अप्रैल माह से अगस्त/सितम्बर (शाही मौसम) अथवा अक्टूबर/नवम्बर से मार्च (वासंती मौसम) तक प्रभावी रहेगा, अथवा—

(iii) मासिक एकरारनामा वर्ष के एक विशिष्ट माह अथवा किसी अन्य अवधि जो मालिक और टैपर के लिये उपयुक्त हो, प्रभावी रहेगा।

5. पेड़ के उचित किराया एवं कच्चा और अंतिम उत्पाद का क्रय मूल्य का अवधारणा :— पेड़ का उचित किराया, कच्चा और अन्तिम उत्पाद जैसे नीरा, गुड़ आदि का क्रय मूल्य राज्य सरकार द्वारा गठित कमिटि द्वारा अवधारित किया जाएगा।

6. अनुज्ञप्ति के लिये आवेदनः— (1) निजी व्यक्ति के पेड़ को छेदने और उससे नीरा निकालने, के लिये इच्छुक कोई टैपर, पेड़ को छेदने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के समक्ष अनुज्ञप्ति के लिये फार्म—I में आवेदन देगा।

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति दे सकते हैं अथवा देने से इन्कार कर सकते हैं ,लेकिन इन्कार करने के कारणों को अभिलिखित करना होगा। अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को आवेदन

प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर फार्म–II में अनुज्ञप्ति निर्गत करना होगा, लेकिन वह उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, विशेष कारणों को अभिलिखित करते हुए, कुल समय–सीमा 30 दिनों के भीतर निर्गत कर सकेगा। तीस दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति निर्गत करने का निर्णय लेने में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के विफल होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी समझी जाएगी।

(3) अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि टैपिंग इकरारनामा की अवधि के अनुसार होगी।

(4) पेड़ का टैंपिग और नीरा निकालने के लिये अनुज्ञप्ति फीस प्रभार्य नहीं होगी।

7. **निरीक्षणः**—(1) अवर निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का कोई उत्पाद पदाधिकारी पेड़ का टैपिंग और अन्य स्थान जहाँ नीरा के उत्पाद का निर्माण, भंडारित अथवा बिक्री किया जा रहा है, का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) निरीक्षी पदाधिकारी ताड़ पेड़ के उत्पाद में मादक द्रव्य की मौजुदगी अल्कोहल और किसी मिलावट का निरीक्षण भी करेगा।

(3) पदाधिकारी अपना प्रेक्षण संधारित निरीक्षण पंजी में दर्ज करेगा और आवश्यक कार्रवाई के लिये उच्च प्राधिकारी को आग्रसारित और नियमानुकुल कार्रवाई भी करेगा।

8. **शिकायत का निपटावः**— (1) किराया, अवधि और एकरारनामा की अन्य शर्त्तो से संबंधित शिकायत व्यक्तिगत भूमि पर स्थित पेड़ के मालिक और टैपर के बीच उत्पन्न होने पर उसे संबंधित जिला के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद के समक्ष फार्म–III दाखिल किया जाएगा।

(2) संबंधित जिला के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद पक्षकारों को सम्यक सूचना और उन्हे पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए वाद की सुनवाई कर सकेगें।

(3) किराया संबंधी विवादास्पद विषय पर निर्णय लेते समय संबंधित जिला के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद नियम–5 के अधीन निर्धारित उचित किराया को देय महत्व प्रदान करना होगा और अंचल अधिकारी जैसा उचित समझे युक्तियुक्त आदेश पारित करेगें।

9. **अपीलः**— (1) संबंधित जिला के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश प्राप्त होने की तिथि के तीस दिनों के

भीतर लिखित रूप में अपीलीय प्राधिकार संबंधित प्रमंडल के उपायुक्त उत्पाद के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील दायर करने पर अपीलीय प्राधिकार–

(क) अपील के ज्ञापन का अवलोकन और यदि आवश्यक हो, संबंधित सभी पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् संक्षिप्त रूप से अपील को खारिज कर सकेगा, अथवा

(ख) संबंधित जिला के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद से वाद का अभिलेख की माँग कर और ऐसे अभिलेख की जाँच कर यदि आवश्यक हो, आगे ऐसी जॉच पड़ताल कर जैसा वह उचित समझे अपील पर निर्णय ले सकेगा।

10. **टैपर का निष्कासनः**– किसी संविदा अथवा विधि में किसी विरूद्ध बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी टैपर नियम–3 में परिभाषित एकरारनामे की अवधि के भीतर निम्नलिखित आधारों पर पारित आदेशों के निष्पादन छोड़कर, निष्कासन का दायी नहीं होगा –

(क) टैपर किसी मादक द्रव्य अथव अल्कोहलिक पेय अथवा शराब का उत्पाद में बदलने के लिये पेड़ से रस अथवा कोई उत्पाद निकालता है;

(ख) एकरारनामा की शर्त्तो को भंग करने के लिये अथवा पेड़ के मालिक की सहमति के बिना पेड़ को भाड़े पर देने के लिये;

(ग) जहाँ टैपर के कृत्यों से पेड़ की स्थिति तात्विक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हो;

(ध) जहाँ विधिवत रूप से टैपर द्वारा भुगतेय किराये की बकाया राशि एकरारनामा द्वारा नियत समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया हो;

(ड0) टैपर द्वारा धारित एकरारनामा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के मामले में।

11. **कठिनाई को दूर करने की शक्ति**– इन नियमावली के प्राधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसा प्रावधान जैसा आवश्यक अथवा समीचीन समझे, कठिनाई दूर करने के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी) 18.3.17
प्रधान सचिव
बिहार।

ज्ञापांक 11/उत्पाद नीति (नीरा)–01–14/2017 757 पटना, दिनांक 18/3/2017

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 सहित)/अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 मुद्रित प्रतियॉ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/उत्पाद नीति (नीरा)–01–14/2017 757 पटना, दिनांक 18/3/2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 11/उत्पाद नीति (नीरा)–01–14/2017 757 पटना, दिनांक 18/3/2017

प्रतिलिपि :– आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/उत्पाद रसायन परीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।
18-3-17

फारम–I

आवेदन प्रपत्र

(नियम–6(1) देखें)

सेवा में,

उत्पाद अधीक्षक / सहायक उत्पाद आयुक्त,

जिला–............................... ।

महाशय,

मैं अधोहस्ताक्षरी पता–.. निवासी निम्नलिखित के लिए इसकी अनुसूची में वर्णित नीरा उत्पादक वृक्षों का अवरोधन (Tap) करने और उससे नीरा निकालने हेतु इच्छुक हुँः–

(क) गुड़ अथवा कोई अन्य वस्तु जो मादक न हो, के विनिर्माण;

(ख) गुड़ अथवा कोई अन्य वस्तु जो मादक न हो के विनिर्माण अथवा परिसरों में खुदरा विक्रय और उपभोग के लिए खुदरा विक्रेताओं को प्रसंस्करण तथा नीरा विक्रय के कंम्फेड को नीरा की आपूर्ति।

2. मैं एतद् द्वारा उपरोल्लिखित प्रयोजनों के लिए नीरा के उपयोग हेतु वचन देता हूँ।

अनुसूची

अवरोधन (Tap) किए जाने वाले पेड़ों की संख्या और प्रकार।	अवरोधन किए जानेवाले पेड़ो की स्थिति।	अवरोधन किए जा रहे पेड़ों के संबंध में सहमति के रूप में मालिक / स्वत्वधारी का नाम एवं हस्ताक्षर।	अभ्युक्ति
1	2	3	4

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथिः–..............................

स्थानः–.............................

फारम--II

(नियम 4 देखें)

गुड़ अथवा किसी अन्य वस्तु के विनिर्माण के लिए, जो मादक न हो, अथवा खुदरा विक्रय के लिए नीरा उत्पादक पेड़ो के अवरोधन तथा उससे नीरा निकालने हेतु अनुज्ञप्ति।

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली, विनियमावली एवं किए गए आदेश के प्रावधानों के अधीन और इस अनुज्ञप्ति की शर्त्तो के अध्यधीन श्री..(जिसे एतत्पश्चात अनुज्ञप्तिधारी कहा जाएगा) पता.......................
....निवासी को थाना..के ग्राम की परिसीमा के भीतर उपजे हुए एतत्पश्चात संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पेड़ों (जिन्हें एतत्पश्चात ''उक्त पेड़ो' के रूप में निर्देशित किया गया है) से ....पर गुड़ अथवा किसी वस्तु के जो मादक न हो, विनिर्माण के लिए दिनांक............................से .... (दोनों दिनों का शामिल करते हुए) से आरंभ होने वाली अवधि के दौरान उनको पेड़ो के अवरोधन एवं नीरा निकालने हेतु एतद् द्वारा अनुज्ञप्ति दिया जाता है।

यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्त्तो के अध्यधीन दी जाती है यथा–

<u>शर्त्ते</u>

1. अनुज्ञप्तिधारी उक्त पेड़ों के सिवाय किसी पेड़ का अवरोधन नहीं करेगा और न तो इस अनुज्ञप्ति के अधीन निकाली गई किसी नीरा के किण्वन (ferment) की स्वीकृति देगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी को नीरा देगा। इस अनुज्ञप्ति के अधीन उक्त पेड़ों से उनके द्वारा निकाली गई नीरा का परिवहन सीधे रास्ते से संग्रहण/विनिर्माण स्थल के लिए और किसी अन्य स्थान के लिए नही किया जाएगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय करेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की शर्त्तों तथा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 एवं उसके अधीन बनाई गई नियमावली, विनियमावली और किए गए आदेशों के प्रावधानों का पालन करेगा और इस हेतु एक वचन बंध देगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि अथवा समनुदेशिती को अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पश्चात इस अनुज्ञप्ति के जारी रहने अथवा नवीकरण जो भी हो, का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। बिक्रय या अंतरण की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के समनुदेशिती को मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के किसी उत्तराधिकारी या विधिक् प्रतिनिधि को, जिस अवधि के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है उसकी असमाप्त भाग के अनुज्ञप्ति के लाभ प्राप्त करने हेतु अनुज्ञा देना न देना अनुज्ञापन पदाधिकारी के विवेकाधिकार के अधीन पूर्णरूप से होगा।

6. उपर्युक्त शर्तो का व्यतिक्रमण से अनुज्ञप्ति समपहरण का दायी हो जाएगी और अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम, नियमावली अथवा आदेश द्वारा विहित सभी या किसी शास्ति का दायी होगा।

पेड़ों की विशिष्टियॉ जिनके संबंध में अनुज्ञप्ति दी जाती है –

ग्राम तथा सर्वे संख्या	खेतों या बागों का विवरण	अवरोधन (टैप) किए जाने हेतु अनुज्ञप्त पेड़ो की संख्या और प्रकार नारियल, पालमिरा, खजूर, सागोपाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4

अधीक्षक उत्पाद / सहायक आयुक्त उत्पाद

फारम–III

शिकायत फारम

(नियम–8 देखें)

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
(उत्पाद अधीक्षक / सहायक आयुक्त, उत्पाद)

मैं, अधोहस्ताक्षरी, ... पता...
दिनांक–................................. को निष्पादित एकरारनामें के अनुसार दिनांक–......................से........................की अवधि के लिए नीरा उत्पादक पेड़ों का अनुज्ञप्तिधारी / मालिक निम्नलिखित कारणों से यह शिकायत दायर करता हूँ:–

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

मैं एतद् द्वारा उपर्युक्त शिकायतों के अवलोकन हेतु और एक समुचित आदेश पारित करने हेतु अनुरोध करता हूँ।

आपका विश्वासभाजन

पेड़ो का अनुज्ञप्तिधारी / मालिक